



## अपशषिट प्रबंधन पर CPCB के नरिदेश

### चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नरिंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) ने अमेज़न, फ्लपिकार्ट और पतंजलि जैसी 52 कंपनरियों को उनके द्वारा फैलाए गए अपशषिटों के उचति प्रबंधन हेतु नरिदेश दये हैं ।

//

### प्रमुख बदि:

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नरिधारति प्लास्टकि अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 (2018 में संशोधति) के अनुसार, पैकेजगि और उत्पादन के दौरान प्लास्टकि अपशषिट के नरिपटान की ज़मिमेदारी कंपनरियों की होगी ।
- नरिषिपादन योग्य अपशषिट के प्रबंधन की ज़मिमेदारी को वसितारति नरिमाता ज़मिमेदारी (Extended Producers Responsibility-EPR) कहते हैं । EPR हेतु कंपनी कसिी मध्यस्थ कंपनी का भी प्रयोग कर सकती है ।
- अपशषिट प्रबंधन के लये स्थानीय नकियों, ग्राम पंचायतों और खुदरा वकिरेताओं को भी EPR के दायरे में रखा गया है ।
- CPCB के अनुसार, जनि 52 कंपनरियों को अपशषिट प्रबंधन के संबंध में नरिदेश दये गए हैं, उन्होंने अपशषिट के नरिपटान से संबंधति कसिी भी योजना का वविरण मंत्रालय को नही दये है ।
- नए नरिदेशों का पालन न करने की स्थति में इन कंपनरियों पर पर्यावरण संरक्षण अधनियिम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें कारावास की सज़ा हो सकती है ।

### अपशषिट प्रबंधन की स्थति

- वभिनिन कानूनों के बावजूद भी भारत में अपशषिटों के नरिपटान को लेकर बहुत कम प्रगति देखी गई है ।
- केंद्रीय प्रदूषण नरिंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा वर्ष 2015 में जारी अनुमानों के अनुसार, भारतीय शहरों में प्रतदिनि लगभग 15,000 टन प्लास्टकि अपशषिट का उत्पादन होता है और इनमें से लगभग 70 प्रतशित प्लास्टकि अपशषिट के रूप में ही समाप्त हो जाता है ।
- भारत में लगभग 40 प्रतशित प्लास्टकि अपशषिट को न तो एकत्र कये जाता है और न ही उनका पुनर्रचकरण हो पाता है । यही अपशषिट अंततः भूमि और जल को प्रदूषति करता है ।
- प्लास्टकि अपशषिट का सर्वाधिक उत्पादन पैकेजगि के दौरान होता है ।
- [राष्ट्रीय हरति नयायाधिकरण](#) (National Green Tribunal-NGT) के अनुसार, 30 अप्रैल 2019 तक 25 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों ने

प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिम (Plastic Waste Management Rules) 2016 के नयिमों का पालन नहीं कयिा है ।

## केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड

### (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड का गठन एक सांवधिकि संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नविवरण एवं नयित्रण) अधनियिम, 1974 के अंतर्गत सतिंबर 1974 को कयिा गया ।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण नविवरण एवं नयित्रण) अधनियिम, 1981 के अंतर्गत शक्तियिँ व कार्य सौंपे गए ।
- यह बोर्ड क्षेत्र नरिमाण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधनियिम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है ।
- केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण नविवरण एवं नयित्रण) अधनियिम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण नविवरण एवं नयित्रण) अधनियिम, 1981 के तहत वर्णति कयिा गया है ।

[अपशष्टि प्रबंधन एवं नवीन वधिकि प्रावधान](#)

[हानकारक और अनय अपशष्टि नयिम, 2016 संशोधन](#)

[संसाधन क्षमता पर रणनीति](#)

**स्रोत: द हट्टि**

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cpcb-pulls-up-52-firms-over-handling-of-waste>

